

-: बैनामा :-


-:रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय

विलेख:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	रु0-80,00,000.00 (प्रति हे0)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	रु0-3,20,00,000.00 (प्रति हे0)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	रु0-1,21,28,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	रु0-(1,21,28,000.00 + 0.00)
	-	रु0-1,21,28,000.00
ई-स्टाम्प शुल्क	-	रु0-8,48,960.00
ई-स्टाम्प संख्या	-	
निबन्धन, प्रतिलिपिकरण व अन्य शुल्क	-	रु0-1,21,340.00

विक्रय-विलेख


भूमि का प्रकार	-	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	-	पहाडी
परगना व तहसील	-	रामपुर।
जनपद	-	रामपुर।





विक्रेता का विवरण :-


1	विक्रेता का नाम	श्री शेर सिंह पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद
	निवासी	ग्राम पहाडी, रामपुर।
	आधार कार्ड संख्या	XXXXXXXX5159
	पैन कार्ड संख्या	CYKPS0157C
	मोबाईल संख्या	9675243087
2	विक्रेता का नाम	श्री जगन सिंह पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद
	निवासी	ग्राम पहाडी, रामपुर।
	आधार कार्ड संख्या	XXXXXXXX 4126
	पैन कार्ड संख्या	HQJPS1041F
	मोबाईल संख्या	7830165837
3	विक्रेता का नाम	श्री संजय कुमार पुत्र श्री हर प्रसाद
	निवासी	ग्राम पहाडी, रामपुर।
	आधार कार्ड संख्या	XXXXXXXX 9027
	पैन कार्ड संख्या	DTFPK4637C
	मोबाईल संख्या	7830165837
4	विक्रेता का नाम	नथिया पत्नी श्री द्वारिका प्रसाद
	निवासी	ग्राम पहाडी, रामपुर।
	आधार कार्ड संख्या	XXXXXXXX 2778
	पैन कार्ड संख्या	BOPPN9996E
	मोबाईल संख्या	9675243087




क्रेता का विवरण :-

रामपुर विकास प्राधिकरण, आवास विकास कालोनी 32/7, रामपुर, 2

पैन कार्ड संख्या :- AAALR0333H
 द्वारा :- श्री जगदीश पाल सिंह
 पदनाम :- अवर अभियन्ता
 विभाग :- रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर।
 जनपद :- रामपुर।
 मोबाईल नं० :- 9013067386
 आधार कार्ड संख्या - XXXXXXXX 2602



2/2/22





विक्रीत सम्पत्ति का विवरण							
क्र० सं०	विक्रेता व पिता /पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	भू राजस्व
1	2	4	5	6	7	8	9
1	श्री शेर सिंह पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	317	0.379	0.379	पूर्ण भाग	0.0632	—
2	श्री जगन सिंह पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	317	0.379	0.379	पूर्ण भाग	0.0632	—
3	श्री संजय कुमार पुत्र श्री हर प्रसाद	317	0.379	0.379	पूर्ण भाग	0.1895	—
4	नथिया पत्नी श्री द्वारिका प्रसाद	317	0.379	0.379	पूर्ण भाग	0.0631	—

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.3790 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.3790 हे० विक्रेतागणों का अंश पूर्ण है।
सड़क की स्थिति — कोई नहीं।
परिसम्पत्ति — रु०-००.००

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी:-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	317	खेत श्रीमती नसरीन	खेत चन्द्रपाल	खेत रामप्रसाद	खेत श्रीमती नसरीन जहां

संजय कुमार


श्री शेर सिंह




नथिया पत्नी





पति

कृता


विक्रय मूल्य का भुगतान:-

कुल विक्रय मूल्य रू०- 1,21,28,000.00(एक करोड़ इक्कीस लाख अट्ठाईस हजार रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती के उपरान्त विक्रेतागणों को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र०सं०	विक्रेता व पिता /पति का नाम	पता	बैंक का नाम	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री शेर सिंह पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	नि० ग्राम पहाड़ी रामपुर।	SBI रामपुर।	547007	06-09-25	रू०-20,02,176.00/- (बीस लाख दो हजार एक सौ छिहत्तर रुपये मात्र)
2	श्री जगन सिंह पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	नि० ग्राम पहाड़ी रामपुर।	SBI रामपुर।	547008	06-09-25	रू०-20,02,176.00/- (बीस लाख दो हजार एक सौ छिहत्तर रुपये मात्र)
3	श्रीमती नथिया पत्नी श्री द्वारिका प्रसाद	नि० ग्राम पहाड़ी रामपुर।	SBI रामपुर।	547010	06-09-25	रू०-60,03,360.00/- (साठ लाख तीन हजार तीन सौ साठ रुपये मात्र)
4	श्री संजय कुमार पुत्र श्री हर प्रसाद	नि० ग्राम पहाड़ी रामपुर।	SBI रामपुर।	547009	06-09-25	रू०-19,99,008.00/- (उन्नीस लाख नित्यानवे हजार आठ रुपये मात्र)

उक्त भूमि चकबन्दी आकार पत्र- 45 में मानसिंह पुत्र कड्डे के नाम अंकित थी। मानसिंह की मृत्यु उपरान्त भूमि वरासतन श्री द्वारिका प्रसाद व रमेश पुत्रगण श्री मानसिंह के नाम दर्ज हुयी। रमेश की मृत्यु उपरान्त भूमि वरासतन भगवान दास, भीमसेन व अनारदेई के नाम दर्ज हुयी। द्वारिका प्रसाद की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि शेर सिंह, जगन सिंह व नथिया के नाम दर्ज हुयी। भगवान दास, भीमसेन व अनारदेई द्वारा उक्त भूमि का बैनामा अनुज पुत्र हरप्रसाद के पक्ष में किया गया। अनुज द्वारा उक्त भूमि का बैनामा संजय पुत्र हरप्रसाद के पक्ष में किया गया। विक्रेता (संजय पुत्र हरप्रसाद) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है। उक्त भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा- 98/99 के तहत न्यायालय जिलाधिकारी रामपुर से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। जिसका आदेश पत्रावली पर संलग्न है। विक्रीत भूमि ना तो किसी को हस्तांतरित की गयी है और ना ही किसी बैंक या सरकारी कार्यालय अथवा किसी व्यक्ति को बन्धक की गयी है। विक्रीत भूमि हर प्रकार से रेहन व वय व हिबा, ऋण

21/2/25
मेजु कुमल
जतिमसिंह
रामपुर
रामपुर
5



पंजीकरण सं०: 202500726013678

(रकारी)

विक्रय पत्र

सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10222

वर्ष: 2025

शुल्क: 12128000 स्टाम्प शुल्क - 848960 वाजारी मूल्य - 12128000 पंजीकरण शुल्क - 121280 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 121340

रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा
जगदीश पाल सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
श्री अतर सिंह
वसाय: नौकरी
पत्ता: रामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर



जगदीश पाल सिंह अधिकृत पदाधिकारी
प्रतिनिधि

रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा

यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11.08/2025 एवं 06:52:53

बजे

समय हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिमा शर्मा प्रभारी

उप निबंधक :सदर

रामपुर

11/08/2025

निबंधक लिपिक

11/08/2025



भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, दीवानी या राजस्व वाद आदि से मुक्त है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है और ना ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें गाटा संख्या-317 रकबा-0.3790 हे० सम्पूर्ण भाग विक्रीत की जाती है। अब जरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिली खारिजी सहित पूरे होशो हवास स्वस्थ चित से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव नाजायज किसी शख्स के मय सम्पूर्ण अधिकार सहित मुवलिग रू०- 1,21,28,000.00(एक करोड़ इक्कीस लाख अट्ठाईस हजार रुपये मात्र) जिसके हिस्सानुसार मुवलिग रू०- 20,22,400.00(बीस लाख बाईस हजार चार सौ रुपये मात्र) शेर सिंह के, हिस्सानुसार मुवलिग रू०- 20,22,400.00(बीस लाख बाईस हजार चार सौ रुपये मात्र) जगन सिंह के, हिस्सानुसार मुवलिग रू०- 20,19,200.00(बीस लाख उन्नीस हजार दो सौ रुपये मात्र) नथिया के व हिस्सानुसार मुवलिग रू०- 60,64,000.00(साठ लाख चौंसठ हजार रुपये मात्र) संजय सिंह के, होते हैं, बदस्त क्रेता रामपुर विकास प्राधिकरण, आवास विकास कालोनी 32/7, रामपुर 244901 (उ०प्र०) के पक्ष में वय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि आर०डी०ए० को बेच दिया और कुल जर समन हस्ब तफसील जैल क्रेता मजकूर से जरिये चैक वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से बजाये अपने क्रेता मजकूर का कब्जा वाकई बखूफी कर दिया। अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया है व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी ना रहा। विक्रेता विक्रीत भूमि के प्रतिफल के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिकर या लाभ का दावा कियी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेगा।

अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे और अगर विक्रीत आराजी वयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारों से निकल जावे या कब्जा ना मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा व खर्चा विक्रेता उसके वारिसानों तथा दीगर जायदाद चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवें, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित सारे हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को अंतरित कर दिये हैं, अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजों में अपने नाम दर्ज करा लेवे। विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।


21/2/25


सेजल कनाड


जगन सिंह


रामपुर

 रामपुर

क्रेता

 6



आवेदन सं०: 202500726013678

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10222

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री शेर सिंह,

SHAIR SINGH

पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद

निवासी: ग्राम पहाडी जिला रामपुर

व्यवसाय: कृषि

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 157C

विक्रेता: 2

श्री जगन सिंह,

JAGAN SINGH

पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद

निवासी: ग्राम पहाडी जिला रामपुर

व्यवसाय: कृषि

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 041F

विक्रेता: 3

श्री संजय कुमार,

SANJAY KUMAR

पुत्र श्री हर प्रसाद

निवासी: ग्राम पहाडी जिला रामपुर

व्यवसाय: कृषि

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 637C

विक्रेता: 4

श्रीमती नथिया,

NATHIYA


पत्नी श्री द्वारिका प्रसाद,

निवासी: ग्राम पहाडी जिला रामपुर

व्यवसाय: कृषि

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 996E

क्रेता: 1



उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है, उक्त भूखण्ड का, जिसका आर0डी0ए0 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, और प्रश्नगत भूमि का स्वत्व विक्रेता में निहित है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।


अतः यह विक्रय विलेख (बैनामा) अपने होशो हवास स्वस्थ चित से बगैर किसी व्यक्ति के अनुचित दबाव से समक्ष साक्षियों के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकतानुसार भविष्य पर काम आवे। इस विक्रय पत्र के निष्पादन से मुझ विक्रेता की आजीविका, निवास स्थान व जीवनचर्या परिवर्तित नहीं हो रही है और न ही आजीविका, निवास स्थान व जीवनचर्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रस्तुत विक्रय विलेख विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उसके द्वारा बताये गये तथ्यों व आश्वासन के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेता की है तथा पक्षकारों की पहचान उनके साक्षियों द्वारा की जा रही है।

सिद्ध



सिद्ध



सिद्ध




सिद्ध



सिद्ध

सिद्ध





श्री रामपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जगदीश पाल सिंह,

RAMPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

पुत्र श्री अतर सिंह



निवासी: रामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 333H

ने निष्पादन स्वीकार किया | जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राजीव गंगवार . पुत्र श्री बद्धी प्रसाद



निवासी: ग्राम पहाडी जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री नौवत राम, पुत्र श्री भूकन लाल



निवासी: रामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिमा शर्मा प्रभारी

उप निबंधक : सदर


रामपुर
11/08/2025

ने की | प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

निबंधक लिपिक रामपुर

11/08/2025



विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय की धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विकास कार्य करते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अधिक धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है, तो 15 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर से भू-राजस्व की भौति रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर (आर0डी0ए0) को वसूलने का अधिकार होगा। साथ ही यदि उक्त भूमि पर भविष्य में कोई देयता पायी जाती है, तो उसका समस्त उत्तदायित्व विक्रेता का होगा, जो उक्त देयता को ब्याज सहित देना होगा।

स्थान :- रामपुर।

दिनांक :-

साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर -

नाम - श्री राजीव गंगवार

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम पहाडी, तहसील व परगना रामपुर।

पिता का नाम - श्री बद्री प्रसाद

साक्षी नम्बर 2 -

हस्ताक्षर -

नाम - श्री नौवत राम

पदनाम - संविदा कर्मचारी, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर।

पिता का नाम - श्री भूकन लाल



हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

Drafted and typed by
Rampur Development Authority




Handwritten signature and stamp.

आवेदन सं०: 202500726013678

शी संख्या 1 जिल्द संख्या 11520 के पृष्ठ 203 से 216 तक क्रमांक
10222 पर दिनांक 11/08/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



अनिमा शर्मा प्रभारी

उप निबंधक : सदर

रामपुर

11/08/2025

